रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 2011/चैत्र 5, 1933
No. 161] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 2011/CHAITRA 5, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2011

सा.का.नि. 258(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, 266ख एवं 266ङ के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2011 कहा जाएगा।

   (2) ये नियम 27 मार्च, 2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (निदेश पहचान संख्या) नियम, 2006 (जिसे यहां इसके पश्चात प्रधान नियम कहा जाएगा) में नियम 3 में-

   (i) उप-नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"(3) (क) आवेदक पोर्टल से फॉर्म संख्या डीआईएन-1 डाउनलोड करेगा, अपेक्षित विवरण भरेगा, निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करेगा एवं उनकी प्रतियां संलग्न करेगा नामत:-

(क) फोटोग्राफ;

(ख) पहचान का प्रमाण;

(ग) आवास का प्रमाण; एवं

(घ) नियमावली के संलग्न अनुलग्नक-I में बताएं गए प्रारूप में डीआईएन के आबंटन के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक द्वारा सत्यापन।

(ख) फॉर्म पर क्रमश: चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 तथा लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के उपबंधों के तहत प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र धारी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कंपनी सचिव अथवा लागत एवं संकर्म लेखाकार डिजिटल हस्ताक्षर करेगा;

(ग) फॉर्म पर कंपनी जिसमें आवेदक निदेशक बनने की इच्छा रखता है, पर पूर्णकालिक कंपनी सचिव या कंपनी का प्रबंध निदेशक या निदेशक भी हस्ताक्षर कर सकता है;

(घ) ई-फॉर्म डीआईएन-1 पर आवेदक द्वारा भी अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का प्रयोग कर हस्ताक्षर किया जा सकता है";

(ii) उप-नियम (4) हेतु, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(4) (क) आवेदक फॉर्म संख्या डीआईएन-1 पोर्टल पर ही जमा करेगा तथा नियम 4 में बताये गये शुल्क की अपेक्षित राशि ऑनलाइन मोड से जमा करेगा;

(ख) शुल्क की सफल अदायगी के पश्चात, अगर डीआईएन-1 प्रैक्टिसिंग व्यावसायिक द्वारा हस्ताक्षरित है, प्रक्रिया के पश्चात सिस्टम स्वत: ही अनुमोदित डीआईएन जारी कर देगा तथा अन्य सभी मामलों में सिस्टम द्वारा अनंतिम डीआईएन जारी किया जाएगा";

(iii) उप-नियम (5) का लोप कर दिया जाएगा;

(iv) उप-नियम (6) को उप-नियम (5) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाएगा एवं इस प्रकार पुन: क्रमांकित उप-नियम (5) में शब्द, ब्रैकेट एवं संख्या "उप-नियम (5)", के स्थान पर शब्द, ब्रैकेट एवं संख्या "उप-नियम (4)" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

1108/G1/11—13

(v) उप-नियम (7) को उप-नियम (9) के रूप में तथा उप-नियम (7) से पहले पुन: क्रमांकित किया जाएगा जिससे इस प्रकार पुन: क्रमांकित किए जाने पर, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किए जाएंगे, नामत:-

"(6) अनंतिम डीआईएन के आबंटन के मामले में, जांच करने पर यदि केन्द्र सरकार ऐसे आवेदन को किसी मायने में त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाती है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से पाई गई ऐसी त्रुटि या अपूर्णता के संबंध में वेबसाइट के जरिए सूचित करेगी तथा आवेदक या ऐसे आवेदन दर्ज करने वाले व्यक्ति को ई-मेल के माध्यम से ऐसी त्रुटि या अपूर्णता में 15 दिनों की अवधि के अंदर पुन: आवेदन देकर सुधार करने का निर्देश देगी।

(7) केन्द्र सरकार आवेदक या ऐसे आवेदन देने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त अवधि के अंदर पुन: आवेदन देकर त्रुटि या अपूर्णता में सुधार करने का अवसर प्रदान करेगी।

(8) (क) ऐसी त्रुटि या अपूर्णता में उप-नियम (7) के तहत अवसर प्रदान करने के बावजूद सुधार नहीं किए जाने या आंशिक तौर पर सुधार किए जाने या केन्द्र सरकार की संतुष्टि के अनुरूप सुधार नहीं किए जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार ऐसे आवेदन को या तो अस्वीकृत कर देगी या उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड में अमान्य घोषित कर देगी तथा ऐसे अमान्य आवेदन का रिकार्ड नहीं रखेगी एवं ऐसी स्थिति में अनंतिम डीआईएन समाप्त हो जाएगा।

(ख) उप-नियम (8) के तहत की गई कार्रवाई के बारे में आवेदक को उप-नियम (5) में निर्दिष्ट तरीके से सूचित किया जाएगा।"

3. नियम 4 में, शब्द, ब्रैकेट तथा संख्याओं "नियम 3 का उप-नियम (6)" के स्थान पर शब्द, ब्रैकेट तथा संख्या "नियम 3 का उप-नियम (5) प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. नियम 5 में, शब्द, ब्रैकेट तथा संख्याओं "नियम (3) का उप-नियम (6)" के स्थान पर शब्द, ब्रैकेट तथा संख्या "नियम 3 का उप-नियम (5)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. नियम (7) में, -

(i) उप-नियमों (2) तथा (3) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत:-

"(2) (क) निदेशक पोर्टल से प्रपत्र संख्या डीआईएन-4 डाउनलोड करेंगे तथा उसमें संबंधित परिवर्तन भरेंगे, प्रपत्र में परिवर्तन ब्यौरों के लिए प्रमाण स्कैन करके नियमावली के संलग्न अनुलग्नक-2 में बताए गए प्रारूप में संलग्न करेंगे;

(ख) प्रपत्र को क्रमश: चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 तथा लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के तहत प्रैक्टिस हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत एवं संकर्म लेखाकार द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

(3) निदेशक पोर्टल पर प्रपत्र सं. डीआईएन- 4 दाखिल करेगा तथा डीआईएन-4 के ब्यौरों में परिवर्तन के बारे में सूचित करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा";

(ii) उप-नियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाएगा, नामत:-

"(4) संलग्न प्रमाणों से ऐसे परिवर्तन ब्यौरों के सत्यापन के द्वारा संतुष्ट होने पर केन्द्र सरकार उक्त परिवर्तनों को समाविष्ट करेगी तथा निदेशक को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी पत्र के द्वारा या किसी अन्य तरीके से मंत्रालय द्वारा रखे गए इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में ऐसे परिवर्तन के प्रभाव के बारे में पुष्टि करते हुए सूचित करेगी।

6. नियम 7 के बाद, निम्नलिखित नियम शामिल किए जाएंगे, नामत:-

"8. मिथ्या सूचना के मामले में आवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के मामले में -

डीआईएन आवेदन में या उसमें किए गए परिवर्तन के मामले में किसी व्यक्ति द्वारा मिथ्या सूचना देने पर धारा 628 के प्रावधान लागू होंगे।

7. प्रपत्र -डीआईएन-1 तथा डीआईएन-4 के लिए निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत:-

"फार्म संख्या डीआईएन 1

[देखें कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का नियम 3(1)]

निदेशक पहचान संख्या के आवंटन हेतु आवेदन पत्र

टिप्पणी - *चिह्नित सभी फील्ड भरना अनिवार्य है।

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम दें और संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(क) *पहला नाम ....

(ख) *अंतिम नाम ....

(ग) मध्य नाम ....

फोटोग्राफ

(उपर्युक्त खाने में अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएं)

फोटाग्राफ हटाएं

2. पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम दें)

(क) *पहला नाम ....

(ख) *अंतिम नाम ....

(ग) मध्य नाम ....

3. *क्या भारत के नागरिक हैं O हां O नहीं

4. राष्ट्रीयता .... 5. *जन्म तिथि .... (तारीख/माह/वर्ष)

6. *लिंग O पुरुष O महिला 7. जन्म का स्थान ....

8. आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) .... (आयकर पैन विवरण प्रमाणित कराएं)

(यदि आयकर पैन दिया जाता है तो आवेदक के विवरण आयकर पैन के अनुसार होने चाहिए) (विवरण के लिए निदेश देखें)

9. वोटर की पहचान कार्ड संख्या ....

10. पासपोर्ट संख्या ....

11. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या ....

12. स्थायी रिहायशी पता

*लाइन I ....

लाइन II ....

*शहर ....

*राज्य .... *पिन कोड ....

*आईएसओ देश कोड ....

देश ....

दूरभाष .... *मोबाइल .... फैक्स ....

*ई-मेल आईडी ....

13. *क्या वर्तमान रिहायशी पता स्थायी रिहायशी पता ही है O हां O नहीं

14. वर्तमान रिहायशी पता

*लाइन I ....

लाइन II ....

*शहर ....

*राज्य .... *पिन कोड ....

*आईएसओ देश कोड ....

देश ....

दूरभाष .... फैक्स ....

15. *क्या आवेदन पत्र पर आवेदक द्वारा स्वयं डिजिटल हस्ताक्षर किए जा रहे हैं

O हां O नहीं

आवेदन द्वारा हस्ताक्षर करने के मामले में सत्यापन

- मैं पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सत्य और सही हैं तथा संलग्न दस्तावेजों के अनुसार हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि संलग्न फोटोग्राफ और संलग्न दस्तावेज मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि सभी अपेक्षित संलग्नक सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथावत प्रमाणित हैं और इस आवेदन पत्र के साथ पूर्णतया लगाए गए हैं।
- मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मुझे कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 203, 274, 284 तथा 388(ड.) शामिल हैं के अंतर्गत किसी कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति से प्रतिबंधित/अयोग्य/हटाया नहीं गया है।
- मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय द्वारा उदघोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
- मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा 266(ख) के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) पहले आवंटित नहीं किया गया है।

आवेदक को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने के मामले में प्रमाणीकरण

- मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न फोटोग्राफ और संलग्न दस्तावेज आवेदक के हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक द्वारा लगाए गए सभी अपेक्षित संलग्नक और सत्यापन पूर्ण हैं।
- मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक के उपर्युक्त विवरणों की आवेदक के मूल दस्तावेजों से जांच की गई है और उन्हें सत्य और सही पाया गया है।

संलग्नक (विवरण के लिए निदेश देखें)

संलग्नकों की सूची

1. *आवेदक की पहचान का प्रमाण (संलग्न करें)
2. *आवेदक की रिहायश का प्रमाण (संलग्न करें)
3. आवेदक द्वारा सत्यापन की प्रतिलिपि (संलग्न करें)
   अनुलग्नक-1 के अनुसार
4. वैकल्पिक संलग्नक – यदि हों (संलग्न करें)

संलग्नक हटाएं

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने हेतु

*श्रेणी ....

चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखाकार के मामले में (पूर्णकालिक प्रैक्टिस)

एसोसिएट अथवा फैलो O एसोसिएट O फैलो

सदस्यता संख्या अथवा प्रैक्टिस नं. का प्रमाण पत्र ....

वर्तमान कम्पनी जिसमें आवेदक को निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव है में पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक अथवा सचिव के मामले में

वर्तमान कम्पनी में निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा ....

सदस्यता संख्या, यदि लागू हो अथवा वर्तमान कम्पनी में पूर्णकालिक नियुक्ति में सचिव का आयकर पैन (कम्पनी के सचिव जो आईसीएसआई के सदस्य न हों अपना आयकर पैन दें)

कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) जिससे निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक अथवा सचिव संबद्ध है तथा जिसमें आवेदक को निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव है ....

<u>पहले से भरा हुआ</u>

कम्पनी का नाम

....

....

<u>संशोधन</u> **<u>चैक फार्म</u>** **<u>पूर्वसंवीक्षा</u>** **<u>प्रस्तुत</u>**

यह ई फार्म केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक मोड से रिकॉर्ड पर लिया गया है और फार्म भरते समय आवेदक द्वारा दिए गए सत्य विवरण पर आधारित है

फार्म संख्या डीआईएन 4

[देखें कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का नियम 7]

निदेशक के विवरण में परिवर्तन की केन्द्र सरकार को दी जाने वाली सूचना

टिप्पणी - *चिह्नित सभी फील्ड भरना अनिवार्य है।

1. (क) *निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) .... पहले से भरा हुआ

   (ख) नाम ....

2. *परिवर्तन के प्रकार

.... निदेशक का नाम .... राष्ट्रीयता .... जन्म तिथि

.... आयकर पैन सं. .... मतदाता पहचान-पत्र सं. .... पासपोर्ट सं.

.... ड्राइविंग लाइसेंस सं. ....स्थाई रिहायशी पता .... वर्तमान रिहायशी पता

वही सूचना भरें जिसे ठीक किया जाना है। केवल संबंधित फील्ड भरें।

3. निदेशक का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(क) पहला नाम .... फोटोग्राफ

(ख) अंतिम नाम ....

(ग) मध्य नाम ....

4. *क्या भारत के नागरिक हैं O हां O नहीं

5. राष्ट्रीयता .... 6. *जन्म तिथि .... (तारीख/माह/वर्ष)

(उपर्युक्त खाने में अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएं)

7. आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) ....

आयकर पैन विवरण प्रमाणित कराएं

फोटाग्राफ हटाएं

(यदि आयकर पैन दिया जाता है तो आवेदक के विवरण आयकर पैन के अनुसार होने चाहिए) (विवरण के लिए निदेश देखें)

8. वोटर की पहचान कार्ड संख्या ....

9. पासपोर्ट संख्या ....

10. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या ....

11. स्थायी रिहायशी पता

*लाइन I ....

लाइन II ....

*शहर ....

*राज्य .... *पिन कोड ....

*आईएसओ देश कोड ....

देश ....

दूरभाष .... *मोबाइल .... फैक्स ....

*ई-मेल आईडी ....

12. *क्या स्थायी रिहायशी पता ही वर्तमान रिहायशी पता है O हां O नहीं

13. वर्तमान रिहायशी पता

*लाइन I ....

लाइन II ....

*शहर ....

*राज्य .... *पिन कोड ....

*आईएसओ देश कोड ....

देश ....

दूरभाष .... फैक्स ....

प्रमाणन

- मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न फोटोग्राफ और संलग्न दस्तावेज आवेदक के हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक द्वारा लगाए गए सभी अपेक्षित संलग्नक और सत्यापन पूर्ण हैं।

- **मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक के उपर्युक्त विवरणों की आवेदक के मूल दस्तावेजों से जांच की गई है और उन्हें सत्य और सही पाया गया है।**

संलग्नक (विवरण के लिए निदेश देखें)

संलग्नकों की सूची

1. *विवरण में परिवर्तन का प्रमाण (संलग्न करें)
2. *निदेशक द्वारा सत्यापन की प्रति (संलग्न करें)
   अनुलग्नक-2 के अनुसार
3. वैकल्पिक संलग्नक – यदि हों (संलग्न करें)

संलग्नक हटाएं

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखाकार के मामले में (पूर्णकालिक प्रैक्टिस) ....

O चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस) अथवा O लागत लेखाकार के मामले में (पूर्णकालिक प्रैक्टिस) अथवा O कम्पनी सचिव (पूर्णकालिक प्रैक्टिस)

एसोसिएट अथवा फैलो O एसोसिएट O फैलो

सदस्यता संख्या अथवा प्रैक्टिस नं. का प्रमाण पत्र ....

<u>संशोधन</u> <u>चैक फार्म</u> <u>पूर्वसंवीक्षा</u> <u>प्रस्तुत</u>

यह ई फार्म केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक मोड से रिकॉर्ड पर लिया गया है और फार्म भरते समय आवेदक द्वारा दिए गए सत्य विवरण पर आधारित है।"।

अनुलग्नक-1

<u>डीआईएन-1 प्रपत्र के मामले में आवेदक का सत्यापन</u>

मै. .... (आवेदक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री .... (आवेदक के पिता का नाम) जन्म तिथि .... पता .... (आवेदक का वर्तमान रिहायशी पता) एतद् द्वारा पुष्टि एवं सत्यापित करता हूं कि डीआईएन-4 फॉर्म में दिया गया विवरण सत्य एवं सही है तथा डीआईएन-4 फॉर्म के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूप है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि

(i) डीआईएन-4 फॉर्म में लगाया गया फोटोग्राफ एवं प्रपत्र मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि सभी अपेक्षित प्रपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं एवं डीआईएन-4 फॉर्म के साथ संलग्न किए जा रहे है तथा

(ii) कंपनी अधिनियम के उपबंधों एवं उक्त अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ङ) के तहत मुझे किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने से निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है तथा

(iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा

(iv) मुझे अपने अधिनियम की धारा 266ख के तहत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) पहले आवंटित नहीं किया गया है।

*नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर:
(नाम)

अनुलग्नक-2

<u>डीआईएन-1 प्रपत्र के मामले में आवेदक का सत्यापन</u>

मै. .... (आवेदक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री* .... (आवेदक के पिता का नाम) जन्म तिथि .... पता .... (आवेदक का वर्तमान रिहायशी पता) एतद् द्वारा पुष्टि एवं सत्यापित करता हूं कि डीआईएन-4 फॉर्म में दिया गया विवरण सत्य एवं सही है तथा डीआईएन-4 फॉर्म के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूप है।

(i) मैंने निम्नलिखित परिवर्तन के लिए आवेदन किया है:-

(क) आवेदक का नाम (प्रमाण सहित और नाम परिवर्तन के मामले में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतिलिपि)

(ख) राष्ट्रीयता (प्रमाण सहित)

(ग) जन्म की तारीख (प्रमाण सहित और जन्म की तारीख में परिवर्तन के मामले में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतिलिपि)

(घ) आय कर स्थायी खाता संख्या (**प्रमाण सहित**)

(ङ) मतदाता पहचान पत्र संख्या (प्रमाण सहित)

(च) पासपोर्ट संख्या (प्रमाण सहित)

(छ) ड्राइविंग लायसेंस संख्या (प्रमाण सहित)

(ज) स्थायी रिहायशी पता (प्रमाण सहित)

(झ) वर्तमान रिहायशी पता (प्रमाण सहित)

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि

(i) डीआईएन-4 फॉर्म में लगाया गया फोटोग्राफ एवं प्रपत्र मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि सभी अपेक्षित प्रपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं एवं डीआईएन-4 फॉर्म के साथ संलग्न किए जा रहे है तथा

(ii) कंपनी अधिनियम के उपबंधों एवं उक्त अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ङ) के तहत मुझे किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने से निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है तथा

(iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा

(iv) मुझे अपने अधिनियम की धारा 266ख के तहत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) पहले आवंटित नहीं किया गया है।

*नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर:
(नाम)

[फा. सं. 02/01/2011-सीएल-V]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—प्रधान नियम, भारत के राजपत्र भाग **II**, खंड 3(i) में सा.का.नि. 649(अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 2006 के द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा अंतिम संशोधन सा.का.नि. 849, दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2011

G.S.R. 258(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 read with sections 266A, 266B and 266E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Director Identification Number) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from 27th March, 2011.

2. In the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3,-

(i) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) (a) The applicant shall download Form No. DIN-1 from the portal, fill-in the required particulars sought therein, scan and attach copies of the following documents, namely :-

(a) photograph;
(b) proof of identity;
(c) proof of residence; and
(d) verification by the applicant for applying for allotment of DIN in the format as specified in Annexure 1 enclosed to the rules.

(b) the form can be digitally signed by a Chartered Accountant or a Company Secretary or a Cost and Works Accountant holding a certificate of practice under the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949, the Company Secretaries Act, 1980 and the Cost and Works Accountants Act, 1959 respectively;

(c) the form can also be digitally signed by a Company Secretary in full time employment of the company or by the Managing Director or Director of the company in which the applicant intends to be a director ;

(d) the e-form DIN-1 can also be digitally singed by the applicant by using his or her own Digital Signature Certificate" ;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) (a) the applicant shall submit the Form No. DIN-1 on the portal and pay the requisite amount of fees as specified in rule 4 through online mode ;

(b) after successful payment of fee, in case DIN-1 is signed by practicing professional, the system after processing, shall automatically generate the approved DIN and in all other cases, the provisional DIN shall be generated by the system";

(iii) sub-rule (5) shall be omitted ;

(iv) sub-rule (6) shall be re-numbered as sub-rule (5) and in the sub-rule(5) as so re-numbered, for the word, brackets and figure "sub-rule (5)", the word, brackets and figure "sub-rule (4)" shall be substituted ;

(v) sub-rule (7) shall be renumbered as sub-rule (9) and before sub-rule(7) as so re-numbered, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(6) In case, where provisional DIN is allotted, the Central Government, on examination, finds such application to be defective or incomplete in any respect, it shall give intimation of such defect or incompleteness noticed electronically, by placing it on the website and by email to the applicant or the person who has filed such application, directing him to rectify such defects or incompleteness by resubmitting the application with in a period of fifteen days.

(7) The Central Government shall give an opportunity to the applicant or the person who has filed such application, for rectification of the defects or incompleteness by resubmitting the application with in the aforesaid period.

(8) (a) In the event, such defect or incompleteness has not been rectified or has been rectified partially or has not been rectified to the satisfaction of the Central Government, despite opportunity provided under sub-rule (7), the Central Government shall either reject or treat and label such application as invalid in the electronic record and shall not take on record such invalid application and in such case, the provisional DIN shall be lapsed.

(b) the action taken under sub-rule (8) shall be informed to the applicant in such mode as specified in sub-rule (5).".

3. In rule 4, for the words brackets and figures "sub-rule (6) of rule 3", the words, brackets and figures sub-rule(5) of rule 3" shall be substituted.

4. In rule 5, for the words, bracket and figures "sub-rule (6) of rule (3), the words, bracket and figures "sub-rule (5) of rule 3 shall be substituted.

5. In rule(7), -

(i) for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

(e) "(2) (a) the director shall download Form No. DIN-4 from the portal and fill-in the relevant changes, scan and attach copy of the proof of the changed particulars in the format as specified in Annexure 2 enclosed to the rules;

(b) the form needs to be digitally signed by a Chartered Accountant or a Company Secretary or a Cost and Works Accountant holding a certificate of Practice under the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949, the Company Secretaries Act, 1980 and the Cost and Works Accountants Act, 1959 respectively.

(3) The Director shall submit the Form No. DIN-4 on the portal and there shall be no fee for intimating the changes in particulars in DIN-4.";

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The Central Government, upon being satisfied, through verification of such changed particulars from the enclosed proofs, shall incorporate the said changes and inform the director by way of a letter issued electronically or in any other mode confirming the effect of such change in the electronic database maintained by the Ministry.

6. After rule 7, the following rule shall be inserted, namely:-

"8. Penal action against the applicant in case of false information. –

The provisions of section 628 shall be applicable in respect of any false information furnished by any person in the DIN application or changes thereof.

7. For Forms DIN-1 and DIN-4 the following Forms shall be substituted, namely:-

1108/GI/11—4A

FORM NO. DIN-1

[See Rule 3(1) of the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006]

Application for allotment of Director Identification Number

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

Photograph

(Attach a latest passport size photograph by clicking on above box)

Remove Photograph

1. Applicant's name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) *First name

(b) *Last name

(c) Middle name

2. Father's name (Even married women must give father's name)

(a) *First name

(b) *Last name

(c) Middle name

3. *Whether a citizen of India ○ Yes ○ No

4. Nationality

5. *Date of birth (DD/MM/YYYY)

6. *Gender ○ Male ○ Female

7. Place of birth

8. Income-tax permanent account number (Income-tax PAN) Verify Income-tax PAN details

(In case income-tax PAN is entered, applicant details should be as per Income-tax PAN) (refer instruction kit for details)

9. Voter's identity card number

10. Passport number

11. Driving license number

12. Permanent residential address

*Line I

Line II

*City

*State *Pin code

* ISO country code

Country

Phone *Mobile Fax

*e-mail ID

13. *Whether present residential address is same as permanent residential address ○ Yes ○ No

14. Present residential address

Line I

Line II

City

State Pin code

ISO country code

Country

Phone Fax

1108/GI/11—4

15. *Whether the application is being digitally signed by the applicant himself ◯ Yes ◯ No

Verification in case of signing by applicant

☐ I confirm that my above particulars are true and correct and also are in agreement with the attached documents. I further confirm that the attached photograph and attached documents belong to me. I further confirm that all required attachments have been duly certified by the competent authority and have been completely attached to this application.

☐ I also confirm that I am not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act including Sections 203, 274, 284 and 388(E) of the said Act.

☐ I further confirm that I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court.

☐ I further confirm that I have not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under section 266B of the Companies Act.

Certification in case of signing by person other than applicant

☐ It is hereby certified that the attached photograph and attached documents are of the applicant. It is further certified that all required attachments and verification by the applicant have been completely attached to this application.

☐ It is further certified that I have verified the above particulars of the applicant from the original documents of the applicant and found them to be true and correct.

Attachments (Refer instruction kit for details)

List of attachments

1. *Proof of identity of applicant [Attach]
2. *Proof of residence of applicant [Attach]
3. Copy of verification by the applicant as per Annexure - 1 [Attach]
4. Optional attachment(s) - if any [Attach]

[Remove attachment]

To be digitally signed by

*Category

In case of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Membership number or certificate of practice number of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Whether associate or fellow ◯ Associate ◯ Fellow

In case of director or Managing director or secretary in wholetime employment, of existing company in which the applicant is proposed to be a director

Director identification number of the director or Managing Director of existing company; or
Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary in wholetime employment of existing company (secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

Corporate identity number (CIN) of company with which director or Managing Director or secretary is associated and in which applicant is proposed to be a director

[Pre-fill]

Name of company

[Modify] [Check Form] [Prescrutiny] [Submit]

This eForm has been taken on record by the Central Government through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the person filing the form

FORM NO. DIN-4

Intimation of change in particulars of Director to be given to the Central Government

[See Rule 7 of the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006]

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a) *Director Identification Number (DIN) [ ] Pre-fill

(b) Name [ ]

2. * Type of change:

- ☐ Director Name
- ☐ Nationality
- ☐ Date of birth
- ☐ Income-tax permanent account number (Income-tax PAN)
- ☐ Voters Identity card number
- ☐ Passport number
- ☐ Driving license number
- ☐ Permanent residential address
- ☐ Present residential address

Enter information that needs to be corrected. Enter only the relevant field(s)

3. Director's name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name [ ]

(b) Last name [ ]

(c) Middle name [ ]

4. Whether a citizen of India ○ Yes ○ No

5. Nationality [ ]

6. Date of birth [ ] (DD/MM/YYYY)

7. Income-tax permanent account number (Income-tax PAN) [ ]

(In case income-tax PAN is entered, director details should be as per Income-tax PAN) (refer instruction kit for details)

Verify Income-tax PAN details

Photograph

[ ]

(Attach a latest passport size photograph by clicking on above box)

Remove Photograph

8. Voter's identity card number [ ]

9. Passport number [ ]

10. Driving license number [ ]

11. Permanent residential address

Line I [ ]

Line II [ ]

City [ ]

State [ ] Pin code [ ]

ISO country code [ ]

Country [ ]

Phone [ ] *Mobile [ ] Fax [ ]

*e-mail ID [ ]

12. Whether present residential address is same as permanent residential address ○ Yes ○ No

13. Present residential address

Line I

Line II

City

State | Pin code

ISO country code

Country

Phone | Fax

Certification

*☐ It is hereby certified that the attached photograph and attached documents are of the applicant. It is further certified that all required attachments and verification by the applicant have been completely attached to this application.

*☐ It is further certified that I have verified the above particulars of the applicant from the original documents of the applicant and found them to be true and correct.

Attachments

List of attachments

1. *Proof of change in particulars [Attach]
2. *Copy of verification by the director as per Annexure - 2 [Attach]
3. Optional attachment(s) - if any [Attach]

[Remove attachment]

To be digitally signed by

Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

○ Chartered accountant (in whole-time practice) or ○ Cost accountant (in whole-time practice) or

○ Company secretary (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

*Membership number or certificate of practice number

[Modify] [Check Form] [Prescrutiny] [Submit]

This eForm has been taken on record by the Central Government through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the person filing the form

Annexure -1

Verification of applicant in case of Form DIN-1

I, ... (name of the applicant), Son/Daughter* of .... (applicant's father's name), born on .... (date of birth), resident of .... (present residential address of the applicant) hereby confirm and verify that the particulars given in the Form DIN-1 are true and correct and also are in agreement with the documents being attached to the Form DIN-1.

I further confirm that

(i) The photograph and documents being attached to the Form DIN-1 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly certified by the respective government authority and are being attached to the Form DIN-1 and

(ii) I am not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act including Sections 203, 274, 284 and 388(E) of the said Act and

(iii) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court and

(iv) I have not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under section 266B of the Companies Act.

* Note : strike out whichever is not applicable.

Signature:
(Name)

Annexure -2

Verification of applicant in case of Form DIN-4

I, ... (name of the applicant), Son/Daughter* of .... (applicant's father's name), born on .... (date of birth), resident of .... (present residential address of the applicant) hereby confirm and verify that the particulars given in the Form DIN-4 are true and correct and also are in agreement with the documents being attached to the Form DIN-4.

(i) I have applied for change* of:-

(a) Applicant Name (along with proof and in case of change of name a copy of Notification published in the Gazette)
(b) Nationality (along with proof)

(c) Date of Birth (along with proof and in case of change in the date of birth, copy of Notification published in the Gazette)
(d) Income –Tax Permanent Account Number (along with proof)
(e) Voters Identity Card Number (along with proof)
(f) Passport Number (along with proof)
(g) Driving license number (along with proof)
(h) Permanent residential address (along with proof)
(i) present residential address (along with proof)

I further confirm that:-

(iii) The photograph and documents being attached to the Form DIN-4 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly issued by the respective government authority and are being attached to the Form DIN-4 and

(ii) I am not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act including Sections 203, 274, 284 and 388(E) of the said Act and

(iii) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court and

(iv) I have no any other allotted Director Identification Number (DIN) other than DIN in which changes are intimated under section 266B of the Companies Act.

* Note : strike out whichever is not applicable.

Signature:
(Name)

[F. No. 02/01/2011-CL-V]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3(i) vide G.S.R. 649(E) dated the 19th October, 2006 and last amended by vide G.S.R. 849 dated the. 15th October, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(c) Date of Birth (along with proof and in case of change in the date of birth, copy of Notification published in the Gazette)
(d) [illegible]—Tax Permanent Account Number (along with proof)
(e) [illegible] Identity Card Number (along with proof)
(f) Passport Number (along with proof)
(g) Driving licence number (along with proof)
(h) [illegible] (along with proof)
(i) [illegible] (along with proof)

further certify that:

(a) The photograph and [illegible] attached to the Form DIR-4 [illegible] documents have been duly [illegible] by the [illegible] person [illegible] and are being attached to the e-form DIR-4.

(b) [illegible] Sections 203, 274, 266 and 266(E) [illegible] Act.

(c) I have not been [illegible] by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate [illegible] or any Court of any other [illegible]

(d) [illegible]

(e) [illegible] DIN [illegible] section 266B of the Companies Act.

[illegible] enclosed [illegible] documents.

Signature

Name

[illegible]

Note.—[illegible]